भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1268

11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : जैविक खाद का संवर्धन

1268. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोलेः

श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जैविक खाद के संवर्धन के लिए सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में जैविक खाद के उत्पादन और उपयोग का राज्य वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) जैविक खाद के उपयोग का फसल की पैदावार और उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): सरकार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर) में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। दोनों योजनाएं जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणीकरण और विपणन और फसलोपरांत प्रबंधन तक शुरूआत-से-अंत तक समर्थन पर बल देती हैं। उत्पादन प्रबंधन के लिए विशिष्ट घटक जैसे ऑन-फार्म इनपुट उत्पादन अवसंरचना, वर्मीकम्पोस्ट बेड, और ऑफ-फार्म इनपुट जैसे नीम का तेल, केक, जैव-उर्वरक, जैविक उर्वरक, अपशिष्ट डीकंपोजर आदि की खरीद के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण योजना का अभिन्न अंग हैं।

पीकेवीवाई के तहत, विभिन्न घटकों को कवर करने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता प्रदान की

जाती है। इसमें से, जैविक खादों सहित ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म जैविक इनपुट के लिए किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से तीन वर्ष की अवधि के लिए 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रदान किए जाते हैं।

तथापि, एमओवीसीडीएनईआर योजना के तहत, किसानों को इस योजना के तहत 3 वर्ष के लिए 32500 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से 15,000 रुपये जैविक खादों सहित ऑन-फार्म और ऑफ-फार्म जैविक इनपुट के लिए डीबीटी के माध्यम से दिए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) की गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन (गोबरधन) योजना के तहत संयंत्रों में उत्पादित जैविक उर्वरकों, जैसे कि किण्वित जैविक खाद/तरल किण्वित जैविक खाद/फॉस्फेट युक्त जैविक खाद (एफओएम/एलएफओएम/पीआरओएम) को बढ़ावा देने के लिए 1500 रुपये/मीट्रिक टन की दर से बाजार विकास सहायता (एमडीए) कार्यान्वित कर रही है।

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त जैविक उर्वरकों के उत्पादन के बारे में राज्यवार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है। उत्पादन के आंकड़ों के विवरण का राज्य स्तर पर रख-रखाव किया जाता है।

(ग): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने सूचित किया है कि जैविक खेती पर दीर्घकालिक बहुस्थानीय अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकला है कि फसलों की पोषक आपूर्ति बनाए रखने के लिए जैविक खाद और एकीकृत कृषि प्रणालियों के संयोजन के माध्यम से उत्पादकता में सुधार करने में पोषक तत्व प्रबंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अनुबंध

जैविक उर्वरकों के उत्पादन का वर्षवार विवरण (मीट्रिक टन में)

राज्य	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
आंध्र प्रदेश	25006	272572	1858652
असम	130704	43773	125812
बिहार	47861	53256	22500
छत्तीसगढ	2166	-	78402
दिल्ली	27657	-	-
गोवा	-	11221	-
गुजरात	390309	278037	257822
हरियाणा	180299	71179	74223
हिमाचल प्रदेश	18	33	4520
जम्मू एवं कश्मीर	5314508	3250	85240
झारखंड	-	-	32831
कर्नाटक	38089359	2278241	2286649
केरल	38250	13560	-
मध्य प्रदेश	94254	84598	1388205
महाराष्ट्र	231305	237843	343171
मणिपुर	150	-	150
मेघालय	13518	-	-
मिजोरम	58	-	-
नागालैंड	68351	-	-
ओडिशा	37116	14764	-
पंजाब	473	7407	3088335
राजस्थान	18330	50477	52220
तमिलनाडु	60117	231522	2134453
तेलंगाना	27695	28788	-
त्रिपुरा	-	947	1022
उत्तर प्रदेश	139426	74799	802262
उत्तराखंड	6961	7440	10750
पश्चिम बंगाल	6664	6705	-
पुदुचेरी	130	2470	-
लद्दाख	-	-	13681
कुल योग	**4,49,50,685**	**37,72,884**	**1,26,60,900**

स्रोत: एनसीओएनएफ/राज्य सरकारें

*****